बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः— पटना, दिनांकः—

3(स0)/उ०स्था०(विविध—चारित्री)22/13

प्रेषक,

अनिल कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

विषयः— **फीडर कैडर के कर्मियों का चारित्री अभिलिखित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2016—17 से लागू है परन्तु फीडर कैडर ग्रुप 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों का चारित्री अभियुक्ति अभिलेखन की दशा काफी दयनीय है। बिहार लोक सेवा आयोग में आहूत विगत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में इन कर्मियों की चारित्री पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया तथा मौखिक निदेश दिया गया कि उनके चारित्री अभिलेखन की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ फीडर कैडर के लिए चारित्री अभिलेखन की पुरानी व्यवस्था इस शर्त्त पर बनाये रखें कि चारित्री अभिलेखन अलग—अलग प्रपत्र में वित्तीय वर्षवार हो तथा चारित्री अभियुक्ति अंकन हेतु सभी संबंधित कैडर के कर्मियों के लिए प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी एवं स्वीकरण पदाधिकारी नामित किया जाय एवं चारित्री पर अभियुक्ति का अंकन इन सभी स्तरों से निश्चित रूप से प्राप्त की जाय।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/—

(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः— 6040 पटना, दिनांकः— 27-12-18

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/12/18

सरकार के अवर सचिव

27/12/18

राकेश/26—12—18

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc